बिहार सरकार
विधि विभाग

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020

2020

Optimized by www.ImageOptimizer.net

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020

विषय सूची ।

खंड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

2. 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 216020,35,45,000 (दो लाख सोलह हजार बीस करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस हजार) रूपये मात्र की निकासी ।

3. विनियोग ।

अनुसूची ।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020

बिहार राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।

भारत-गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-

(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रील 2020 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 216020,35,45,000 (दो लाख सोलह हजार बीस करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस हजार) रूपये की निकासी।- बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले अनेक भारों की पूर्ति के लिए अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियाँ, जो कुल 216020,35,45,000 (दो लाख सोलह हजार बीस करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस हजार) रूपये तक होंगी, शोधित और उपयोजित की जा सकेंगी।

3. विनियोग ।- इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से शोधित और उपयोजित करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें 31वीं मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियोजित किया जायेगा ।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व / पूंजी	राशि की अधिसीमा (रुपये)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	राजस्व	31028142000	0	31028142000
		पूंजी	500000000	0	500000000
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	11789197000	0	11789197000
		पूंजी	18000	0	18000
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	8653196000	0	8653196000
		पूंजी	45303992000	0	45303992000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	3804951000	0	3804951000
		पूंजी	1300084000	0	1300084000
05	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	296305000	296305000
		पूंजी	0	0	0
06	निर्वाचन विभाग	राजस्व	7972243000	0	7972243000
		पूंजी	0	0	0
07	निगरानी विभाग	राजस्व	427205000	0	427205000
		पूंजी	0	0	0
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	1692662000	0	1692662000
		पूंजी	0	0	0
09	सहकारिता विभाग	राजस्व	11326274000	0	11326274000
		पूंजी	357540000	0	357540000
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	42962370000	0	42962370000
		पूंजी	12639347000	0	12639347000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	16414626000	0	16414626000
		पूंजी	185000000	0	185000000
12	वित्त विभाग	राजस्व	3276158000	9725400000	13001558000
		पूंजी	39115000000	0	39115000000
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	129246581000	129246581000
		पूंजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियाँ	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	70352726000	70352726000
15	पेंशन	राजस्व	204541042000	140524000	204681566000
		पूंजी	0	0	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	101352065000	0	101352065000
		पूंजी	4800000000	0	4800000000
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	1964276000	0	1964276000
		पूंजी	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	15794440000	0	15794440000
		पूंजी	150001000	0	150001000
19	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व	5739339000	0	5739339000
		पूंजी	650000000	0	650000000
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	91294303000	0	91294303000
		पूंजी	18082500000	0	18082500000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	339504756000	0	339504756000
		पूंजी	12405700000	0	12405700000

Optimized by www.ImageOptimizer.net

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

माँग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित माँग या विनियोग	राजस्व / पूंजी	राशि की अधिसीमा (रूपये)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
22	गृह विभाग	राजस्व	116024827000	0	116024827000
		पूंजी	4810132000	0	4810132000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	6567396000	0	6567396000
		पूंजी	2591100000	0	2591100000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	2381790000	0	2381790000
		पूंजी	0	0	0
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	1235201000	0	1235201000
		पूंजी	1500000000	0	1500000000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	8595181000	0	8595181000
		पूंजी	100000000	0	100000000
27	विधि विभाग	राजस्व	9157119000	0	9157119000
		पूंजी	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	1822764000	1822764000
		पूंजी	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	535057000	0	535057000
		पूंजी	0	0	0
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	2372447000	0	2372447000
		पूंजी	2950000000	0	2950000000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	23043000	0	23043000
		पूंजी	0	0	0
32	विधान मंडल	राजस्व	2248694000	14620000	2263314000
		पूंजी	0	0	0
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	7356208000	77332000	7433540000
		पूंजी	0	0	0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	285359000	285359000
		पूंजी	0	0	0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	8119014000	0	8119014000
		पूंजी	12896600000	0	12896600000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	6064467000	0	6064467000
		पूंजी	52500000000	0	52500000000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	12148883000	0	12148883000
		पूंजी	94240000000	0	94240000000
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	राजस्व	2804765000	0	2804765000
		पूंजी	0	0	0
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	86968578000	0	86968578000
		पूंजी	58000000	0	58000000
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	8927412000	0	8927412000
		पूंजी	452002000	0	452002000
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	16373619000	0	16373619000
		पूंजी	50687501000	0	50687501000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	159402770000	0	159402770000
		पूंजी	150100000	0	150100000

Optimized by www.ImageOptimizer.net

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	राशि की अधिसीमा (रुपये)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	2584986000	0	2584986000
		पूंजी	780000000	0	780000000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	17208136000	0	17208136000
		पूंजी	40000000	0	40000000
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	1189530000	0	1189530000
		पूंजी	0	0	0
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	624909000	0	624909000
		पूंजी	2211400000	0	2211400000
47	परिवहन विभाग	राजस्व	3586943000	0	3586943000
		पूंजी	140000000	0	140000000
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	71637154000	0	71637154000
		पूंजी	500000000	0	500000000
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	10958719000	0	10958719000
		पूंजी	29577400000	0	29577400000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	4115883000	0	4115883000
		पूंजी	7875000000	0	7875000000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	79741641000	0	79741641000
		पूंजी	201900000	0	201900000
योग राजस्व			1548491617000	141608885000	1690100502000
योग पूंजी			399750317000	70352726000	470103043000
महायोग			1948241934000	211961611000	2160203545000

Optimized by www.ImageOptimizer.net

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं । विधि में यह व्यवस्था है कि

(क) विधान सभा द्वारा पारित किये गये अनुदानों, और

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की संचित निधि में से विनियोजित की जायगी ।

वर्त्तमान विधेयक का उद्देश्य है कि राज्य की संचित निधि में से कुल 216020,35,45,000 (दो लाख सोलह हजार बीस करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस हजार) रूपये, शोधन और विनियोग प्राधिकृत किया जाय, ताकि 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में शोधन के दौरान आने वाले भारों की पूर्ति की जा सके ।

(सुशील कुमार मोदी)
भार-साधक सदस्य ।

Optimized by www.ImageOptimizer.net